सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से वृन्दावन को जाने वाली सडक के आसपास की भूमि में प्राधिकरण से ले–आउट प्लान / बिल्डिंग प्लान की अनुमति प्राप्त किये बिना कतिपय बिल्डरों / डवलपर्स / कॉलोनाईजर्स / सोसाईटी आदि द्वारा अवैध निर्माण/ अतिक्रमण किया जा रहा है तथा अवैंध रूप से विकसित भू–खण्ड / फ्लैट/ विला/फार्म हाऊस आदि विक्रय किये जाने के संबंध में इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों में विज्ञापन, इन्टरनेट बुकिंग आदि के माध्यम से प्रचार व प्रसार किया जा रहा है। हाल ही में वृन्दा इकोगार्डन नाम से भी अवैध रूप से विकास/ निर्माण कार्य किया जाना संज्ञान में आया है। प्राधिकरण से बिना भूमि आवंटित कराये तथा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भू–खण्ड/ फ्लैट/विला/फार्म हाऊस आदि का क्रय – विक्रय किया जाना पूर्णतः अवैध एवं विधि विरूद्ध कृत्य होने के साथ – साथ जनसामान्य के साथ धोखाधडी एवं कपटपूर्ण व्यवहार है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में दिये गये प्राविधानों एवं सुसंगत व्यवस्थाओं के अधीन प्राधिकरण को ही अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत भूमि के चिन्हीकरण, आबंटन, नियोजन व विकास करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति / संस्था/ फर्म को प्राधिकरण से आवंटन प्राप्त किये बिना भू–खण्डों को आबंटित करने, चिन्हित करने, विकसित कर स्कीम / योजना द्वारा प्लाट / फ्लैट/ विला/फार्म हाऊस आदि माध्यम से विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उनके द्वारा इस प्रकार का क्रय–विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णरूप से अवैध होगा तथा इस हेतु उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के साथ अवैध निर्माणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

इसी प्रकार के कतिपय विज्ञापनों में यह अंकित करके जनसामान्य को गुमराह करने का प्रयास भी किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत भू–उपयोग परिवर्तित कराया जा चुका है। इस संबंध में जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि धारा 143 का उद्देश्य भूमि पर कृषि न होने के कारण केवल भू–राजस्व समाप्त करना है न कि भू–उपयोग परिवर्तन करना। धारा 143 के अंतर्गत अकृषक प्रयोग हेतु प्रयुक्त भूमि की घोषणा के बाद भी बिना प्राधिकरण से आबंटन प्राप्त किये एवं भू–चित्र स्वीकृत कराये भूखण्डों को आबंटित करना नियम विरूद्ध है।

अतः जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अवैध रूप से विकसित कॉलानियों में भू–खण्ड इत्यादि को कदापि क्रय न करें। इस प्रकार के कृत्य से किसी भी हानि व धोखाधडी के लिए क्रेता एवं विक्रेता दोनो उत्तरदायी होंगे। ऐसे कॉलोनाइजरों के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा धारा 10 के नोटिस जारी किये जा चुके है तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही भी विचाराधीन है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी 04/२०१८
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।